

बद्धी में नकली दवा फैक्टरी में मिली नकली दवाइयां, सील की कंपनी ड्रग विभाग की टीम ने मारा अचानक कंपनी पर छापा

Update: Friday, September 23, 2022 @ 10:53 PM



नालागढ़। ड्रग विभाग की टीम ने इंडस्ट्रियल एरिया सोलन (Solán) बद्धी में थाना गांव में नकली दवाइयां बनाने वाली फैक्टरी (Factory) पर छापा मारा। यह छापेमारी ड्रग कंट्रोलर नवनीत मारवाह (Navneet Marwah) की अगुवाई में पूरी टीम ने की। इस छापेमारी के दौरान टीम (Team) ने इस फैक्टरी से नकली दवाएं पकड़ी हैं। विभाग ने कंपनी को सील कर दिया है। ड्रग विभाग ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट (Drug and Cosmetic) के तहत कंपनी मालिक पर मामला कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। यह भी पढ़ें:ऊना में ईडी की रेड: जांच में 35 करोड़ के अवैध खनन का हुआ खुलासा बताया जा रहा है कि कंपनी मालिक की पहचान गिरिराज तोमर (Giriraj Tomar) के रूप में हुई। जब टीम ने इस फैक्टरी पर छापेमारी की तो इस दौरान कंपनी का मालिक वहां पर नहीं था। छापेमारी के बाद टीम ने तुरंत उसे वहां पहुंचने के आदेश दिए मगर वह नहीं आया। अब विभाग ने कंपनी मालिक को जांच में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान टीम ने पाया कि वह अवैध रूप से ग्लेनमार्क कंपनी के नाम पर हाई ब्लड प्रेशर की दवा बना रहा था। टीम ने इस दौरान उच्च रक्तचाप की दवा टेल्मीसार्टन 40 एमजी व हाइड्रोक्लोरोथियाजिड 12.5 एमजी (Hydrochlorothiazide 12.5 mg) की 301 टेबलेट बरामद की है। वहीं इसके साथ ही टीम ने प्रिंट बैच स्ट्रीप प्रिंटेड फॉयल पेपर व अन्य सामान बरामद किया। उन्होंने बताया कि कंपनी को सील करते हुए मालिक को जांच में शामिल होने के आदेश जारी कर दिए हैं। अवैध रूप से नकली दवा बनाने में एक्ट के अनुसार 10 साल की सजा का प्रावधान है। ड्रग विभाग की टीम ने नकली दवाओं की कंपनी पर छापा मारकर नकली दवाएं बरामद की हैं। छापेमारी के दौरान मालिक वहां मौजूद नहीं था और बुलाने पर भी वहां नहीं आया। विभाग ने फैक्टरी को सील कर दिया है।

Source: <https://himachalabhiabhi.com/fake-medicines-found-in-fake-medicine-factory-in-baddi-sealed/>